भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 343

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों का ब्यौरा

343. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों (2019-24) में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लिए विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में आवेदन करने वाले किसानों की राज्यवार और जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है तथा उक्त आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए "उत्तराधिकार के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण" खंड के तहत राज्यवार और जिलावार निपटाए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है और उक्त मामलों की स्वीकृति में औसत कितना समय लगा; और

(घ) क्या सरकार संबंधित पात्रता मानदंड को संशोधित करने या वर्ष 2019 के बाद आवेदन करने वाले और लाभ प्राप्त नहीं करने वाले किसानों की शिकायतों का समाधान करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन किसानों के पास संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 01/02/2019 से पहले या उस तिथि तक खेती योग्य भूमि है, वे कुछ अपवर्जन मानदंड के अध्यधीन योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं। तथापि, यह कट-ऑफ तिथि उस स्थिति में लागू नहीं होती जब कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व का अंतरण मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के आधार पर होता है।

योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना और पात्र किसानों का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल इच्छित किसानों को ही अंतरित किया जाए, किसानों के विवरण को आधार, पीएफएमएस, आयकर आदि जैसे उपलब्ध डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा, लाभ वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, भूमि सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को योजना में अनिवार्य कर दिया गया था।

लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में रुपये 3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है। पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त जारी करने के दौरान, आंध्र प्रदेश में 41.22 लाख से अधिक लाभार्थियों को रुपये 836.36 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है।

योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को उचित सत्यापन के बाद संबंधित राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन के पश्चात, इस विभाग द्वारा तुरंत लाभ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और इसे अगली किस्त में जारी कर दिया जाता है।

पीएम-किसान योजना में मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है। किसानों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित शिकायत मॉड्यूल है। पीएम-किसान शिकायत मॉड्यूल के अलावा, किसान केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों का समाधान राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाता है। किसानों की शंकाओं और शिकायतों के समाधान के लिए मंत्रालय ने आवाज - आधारित पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) भी विकसित किया है। यह चैटबॉट किसानों की उनकी मूल भाषा में चौबीसों घंटे उनके प्रश्नों का त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाती है।

*****